न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
48 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	01.07.2022	01.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.............प्रार्थी

बनाम

1–श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार सब्जी मण्डी रोड टोडारायसिंह जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 20 धाकड़ कॉलोनी टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

.........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री विनोद कुमार व उनके अभिभाषक श्री शंकर चौधरी।

:–निर्णय–: **दिनांक 01.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.03.2022 को समय 01:11 पीएम पर मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार सब्जी मण्डी रोड टोडारायसिंह जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार अग्रवाल ने स्वयं को मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार सब्जी मण्डी रोड टोडारायसिंह जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का तुलसी ब्राण्ड (Dry Fruits Abjosh Dakh Munnaka TULSI Brand)** दुकान में कागज के कार्टून में 250–250 ग्राम के 32 नग आम जनता को विकय करने हेतु रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विनोद कुमार अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री विनोद कुमार अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का तुलसी ब्राण्ड (Dry Fruits Abjosh Dakh Munnaka TULSI Brand)** वास्ते मानक स्तर की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 250–250 ग्राम के 4 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 250–250 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1 किलोग्राम **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का तुलसी ब्राण्ड (Dry Fruits Abjosh Dakh Munnaka TULSI Brand)** को 250–250 ग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 250 ग्राम) को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3112 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार सब्जी मण्डी रोड टोडारायसिंह जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म स. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/821 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./1163/एक्ट/2022/1210 दिनांक 31.04.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का तुलसी ब्राण्ड (Dry Fruits Abjosh Dakh Munnaka TULSI Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स विनोद कुमार पवन कुमार सब्जी मण्डी रोड टोडारायसिंह जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया परन्तु कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 16.09.2022 को श्री शंकर चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कर जवाब हेतु अवसर चाहा किन्तु आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया हैं। आज अभिभाषक मय अप्रार्थी उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का तुलसी ब्राण्ड (Dry Fruits Abjosh Dakh Munnaka TULSI Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ड्राई फ्रूट्स दाख मुनक्का तुलसी ब्राण्ड (Dry Fruits Abjosh Dakh Munnaka TULSI Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज०